निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 06/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025/13

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर ....**प्रार्थी**

1. श्री सीताराम मीणा पुत्र जौहरी लाल मीणा नि0 ग्राम बसो खुर्द ग्राम पंचायत भूरी पहाडी जिला सवाई माधोपुर, राज0 322033। अन्य पता – पट्टा नं. 9 ग्राम बसो खुर्द, ग्राम पंचायत भूरी पहाडी, पंचायत समिति सवाई माधोपुर 322033।
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी सीताराम मीणा नि0 ग्राम बसो खुर्द ग्राम पंचायत भूरी पहाडी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322033।

.........**अप्रार्थी/ऋणी**

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.04.2021 तथा 16.04.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री सीताराम मीणा पुत्र जौहरी लाल मीणा निवासी ग्राम बसो खुर्द जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 9 दिनांकित 13.01.2017 पूर्व पश्चिम 45 फीट व उत्तर दंक्षिण 30 फीट ग्राम बसो खुर्द ग्राम पंचायत भूरी पहाडी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में खाली जगह, पश्चिम में हीरालाल का मकान, उत्तर में मोजीराम पुत्र मांग्या का मकान व दक्षिण में रेवडमल का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र) तथा 61,000 (इकसठ हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 08.10.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 9 दिनांकित 13.01.2017 पूर्व पश्चिम 45 फीट व उत्तर दक्षिण 30 फीट ग्राम बसो खुर्द ग्राम पंचायत भूरी पहाडी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में खाली जगह, पश्चिम में हीरालाल का मकान, उत्तर में मोजीराम पुत्र मांग्या का मकान व दक्षिण में रेवडमल का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक ३१.१.२०२५ को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested